आदेश की क्रम सं0 और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि

विविध वाद संख्या 09/2012–13,

विशु महतो बनाम राज्य(हवीब मियॉ उर्फ हबु मियॉ) एवं अन्य

8/2/2018

आदेश

यह अभिलेख अपीलार्थी विशु महतो द्वारा विविध माल निर्धारण वाद सं0 01/2011–12, 02/2012–13 विशु महतो बनाम हवीब मियॉ अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गिरिडीह के आदेश दिनांक 17.12.2012 के विरूद्ध अपील किया गया है। जिसकी भूमि की विवरणी निम्नवत् है:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	रकवा (एकड़ में)
परमानिकडीह	366	22	578	1.40
			576	0.65

कुल रकवा - 2.05 एकड़

अभिलेख अन्तर्गत पक्षकारों को नोटिस निर्गत कर भिन्न तिथियों को सुनवाई की गयी।

सुनवाई के क्रम में पक्षकारों द्वारा वादगत भूमि से संबंधित कोई सही कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।

अंचल अधिकारी, जमुआ से प्रश्नगत भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई।

अंचल अधिकारी, जमुआ के पत्रांक 1160 दिनांक 24.10.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि –

1. मौजा परमानिकडीह थाना न0 366 खाता न0 22 प्लॉट न0 578 रकवा 32.25 एकड़ तथा प्लॉट न0 576 रकवा 1.65 एकड़ भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास किस्म जमीन क्रमशः जंगल एवं नदी दर्ज है।
2. पंजी–।। के पृष्ठ सं0 149/1 खाता न0 22 रकवा 2.05 एकड़ की जमाबंदी विशु महतो पिता जुगल महतो के नाम से 05.12.1966 से दर्ज है जिसमें लिप्तलेखन एवं कटींग किया हुआ है। उपरोक्त प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी रमजान मियॉ वो नैयादली मियॉ पिता चौवा मियॉ के नाम से पंजी–।। के पृष्ठ सं0 53/11 में खाता न0 22(खास महाल खाता न 36) रकवा 12.30 $\frac{2}{3}$ एकड की जमाबंदी दर्ज है।
3. उक्त जमाबंदी के परिवर्तन "प्राधिकार कॉलम" में अंचल अधिकारी के आदेश ज्ञापांक 77 दिनांक 22.02.1990 के आदेशानुसार कायम किये जाने का उल्लेख है। जिसमें पूर्व मॉग पंजी–।। के पृष्ठ सं0 29/1 एवं 148/1 देखे, अंकित है। पूर्व पंजी–।। के पृष्ठ सं0 29/1 एंव 148/1 पर रकवा क्रमशः 3.48 $\frac{2}{3}$ एकड एवं 2.52 एकड पुरन मियॉ वगैरह एवं वीवी उतनी जोजे विलटु मियॉ (हवीव मिय़ॉ की माता) के नाम से दिनांक 04.03.19973 एवं 25.02.1976 से दर्ज है।
4. वीवी उतनी के जमाबंदी के "प्राधिकार कॉलम" में खास महाल बंदोबस्ती केश न0 70/1944–45 दर्ज है साथ ही संदेहास्पद जमाबंदी है, इसलिए वसूली बंद रहेगी, अंकित है। रामजान मियॉ वगैरह की जमाबंदी के "परिवर्तन कॉलम" में अंचल अधिकारी का आदेश ज्ञापांक 77 दिनांक 22.02.1990 के अनुसार दर्ज होने का उल्लेख है।

अभिलेख अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए–

1. प्रश्नगत जमीन सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास किस्म

जमीन जंगल एवं नदी दर्ज है।

2. अपीलार्थी विशु महतो के नाम पंजी–।। के पृष्ट सं0 149/1 में खाता नं0 22 रकवा 2.05 एकड जमीन की जमाबंदी दर्ज है, जिसमें लिप्तलेखन एवं कटींग किया हुआ है।
3. प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी रमजान मियाँ वो नियादली मियाँ पिता चौवा मियाँ के नाम पंजी–।। के पृष्ठ सं0 53/11 में खाता न0 22 (खास महाल खाता न0 36) रकवा $12.30\frac{2}{3}$ एकड की जमाबंदी दर्ज है जमाबंदी के परिवर्तन कॉलम में अंचल अधिकारी के आदेश ज्ञापांक 77 दिनांक 22.02.1990 के अनुसार दर्ज होने का उल्लेख है।
4. पूर्व मॉग पंजी–।। के पृष्ठ सं0 29/1 एवं 148/1 पर रकवा क्रमशः 3.48 एकड एवं 2.52 एकड जमीन पुरन मियाँ वगैरह एवं वीवी उतनी जोजे विलटु मियाँ (हवीव मियाँ की माता) के नाम से दिनांक 04.03. 19973 एवं 25.02.1976 से दर्ज है। जमाबंदी के प्राधिकार कॉलम में खास महाल बंदोबस्ती केश न0 70/1944–45 दर्ज है। साथ ही साथ संदेहास्पद जमाबंदी है। इसलिए वसुली बंद रहेगी, अंकित है।

राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 6144/रा. दिनांक 21.12.2017 के अनुसार गैरमजरूआ खास जंगल एवं नदी भूमि का जमाबंदी कायम किया जाना नियमानुकूल ~~है।~~ नहीं

अतः अंचल अधिकारी, जमुआ एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह के जॉच एवं अनुशंसा के आलोक में मौजा परमानिकडीह थाना न0 366 खाता न0 22 प्लॉट न0 578 एवं 576 कुल रकवा 2.05 एकड़ गैरमजरूआ खास जंगल एवं नदी भूमि की विशु महतो, रमजान मियॉं वगैरह एवं वीवी उतनी के नाम कायम अवैध जमाबंदी को जगदेव महतो एवं कमीश्नर में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत रद्द की जाती है।

समपुष्टि हेतू अभिलेख आयुक्त उतरी छोटानागपूर प्रमण्डल हजारीबाग के माध्यम से सरकार को भेजी जाय।

लेखापित

अपर समाहर्त्ता
गिरिडीह

अपर समाहर्त्ता,
गिरिडीह